

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आर०एम० वाद सं०-85/21-22

21.12.21


अभिलेख उपस्थापित :- वाद में अंचल अधिकारी, सोनाहातु के पत्रांक-448(ii) दिनांक-01/12/21 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त के पश्चात आवेदक समला मुण्डा पिता-स्व० घासी मुण्डा, ग्राम-सोनाहातु, पो०-सोनाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, झारखण्ड द्वारा दिनांक-08/12/21 को आवेदन समर्पित कर सूचित किया गया है, कि पूर्व में उनके द्वारा समर्पित अनुमति आवेदन के बिक्री योग्य भूमि का चौहद्दी गलत दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में भूमि बिक्री की अनुमति देना उचित प्रतित नहीं होता है।


अतः आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर उक्त अनुमित वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

भूमि का विवरण

| मौजा | थाना/थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकबा |
|-----------|---------------|----------|-----------|--|
| गोमेयाडीह | सोनाहातु/259 | 47 | 159 | 38 डी० चौहद्दी उ०-योगेद्र महतो। द०-प्रेमानन्द सिंह मुण्डा। पू०-राजेंद्र भगत। प०-तलाब। |

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू (राँची)।